"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2013-2015."

## छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 305]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 20 जुलाई 2017 - आषाद 29, शक 1939

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 जुलाई 2017

## अधिसूचना

क्रमांक एफ 10—48/2017/वा.क.(पं)/पांच (96). — वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 10—04/2017/वाक.(पंजी.)/पांच(02), दिनांक 01/02/2017 के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पद्धित (इरा) ई—रजिस्ट्रीकरण के माध्यम से राज्य शासन के समस्त उप पंजीयक कार्यालय में दिनांक 01/02/2017 से ई—रजिस्ट्रीकरण किया जा रहा है। ई—रजिस्ट्रीकरण से संपादित सेवा के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवा, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय—सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम अधिसूचित करती है, अर्थात :—

## अनुसूची

स. क्र.	कार्यालय / निकाय / अभिकरण	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय—सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक	(क) जब संपत्ति का स्थल निरीक्षण न किया जाना हो	01	उप पंजीयक	जिला पंजीयक /वरिष्ठ जिला पंजीयक	उप महानिरीक्षक / महानिरीक्षक पंजीयन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक	(ख) जब संपत्ति का स्थल निरीक्षण किया जाना हो	07	उप पंजीयक	जिला पंजीयक /वरिष्ठ जिला पंजीयक	उप महानिरीक्षक / महानिरीक्षक पंजीयन
	महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक	(ग) धारा 30(1) मुख्यालय में पंजीबद्ध होने वाले दस्तावेजों के संबंध में	07	उप पंजीयक	जिला पंजीयक /वरिष्ठ जिला पंजीयक	उप महानिरीक्षक / महानिरीक्षक पंजीयन
2.	महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक	दस्तावेजों की नकल प्रदाय करना	15	उप पंजीयक	जिला पंजीयक /वरिष्ठ जिला पंजीयक	उप महानिरीक्षक / महानिरीक्षक पंजीयन
3.	महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक	भार–मुक्त प्रमाण पत्र	15	उप पंजीयक	जिला पंजीयक /वरिष्ठ जिला पंजीयक	उप महानिरीक्षक / महानिरीक्षक पंजीयन

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.